भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 385

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

नशामुक्त भारत अभियान

385. श्री सौमित्र खान:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में नशे के आदी लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) पश्चिम बंगाल में नशीली दवाओं के दुरूपयोग से निपटने के लिए नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्या विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और इन पहलों का क्या प्रभाव देखा गया है; और

(ग) राज्य में नशामुक्ति, पुनर्वास और मादक द्रव्यों रोधी प्रवर्तन प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2019 में भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की सीमा और पैटर्न पर किए गए व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की अनुमानित संख्या केवल राज्य स्तर पर उपलब्ध है। सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

	व्यापकता (% में)	अनुमानित संख्या
अल्कोहल	3.20	2700000
भांग	0.17	144000
ओपिओइड्स	0.41	343000
कोकेन	<0.01	<1000
इनहेलेंट	0.11	92000
सेडेटिव	0.13	112000
एटीएस	<0.01	<1000
हेलुसीनोजेन	<0.01	<1000

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की शुरुआत 272 चिन्हित सबसे संवेदनशील जिलों में की गई थी और बाद में इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल राज्य ने किसी भी जिले में एनएमबीए लागू नहीं किया है।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल विभाग है। नशीली दवाओं के दुरूपयोग की समस्या से निपटने के लिए, यह विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएपीडीडीआर के तहत, पश्चिम बंगाल में नशा मुक्ति, पुनर्वास और नशीली दवाओं के विरुद्ध प्रवर्तन प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशे के आदी लोगों के लिए 8 एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), 2 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व वाले प्रयास (सीपीएलआई), 1 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी), 9 जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी), 1 राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी (एसएलसीए) और सरकारी अस्पताल में 2 नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में आईआरसीए, सीपीएलआई, ओडीआईसी, डीडीएसी और एसएलसीए की विभिन्न सुविधाओं को चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को 4.06 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

ii. विभाग ने पांच सुधार गृहों में नशा मुक्ति सुविधा स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

iii. नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल से 15000 से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।

iv. मंत्रालय ने एनएमबीए को समर्थन देने और पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में जन जागरूकता क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आर्ट ऑफ़ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज़, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

****